4/संख्या-79/11-क0नि0-7-2015-700 (465)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक/
   सहायक महानिरीक्षक, निबंधन,
   उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2015

विषयः- **स्टाम्प वादों में राजस्व विभाग के पोर्टल पर स्टाम्प शुल्क की कमी संबंधी अतिरिक्त सूचना की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि आपके न्यायालयों/ आपके अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित स्टाम्प वाद में अंतर्ग्रस्त विलेख में "दिया गया स्टाम्प शुल्क", "संदर्भण में इंगित वांछित स्टाम्प शुल्क", तथा "इंगित स्टाम्प शुल्क कमी" अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनकी प्रदेश के राजस्व हित में एवं अन्य विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली पर प्रविष्टि किये जाने वाले स्टाम्प वादों में उक्त फील्ड को जोड़ दिया गया है। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्टाम्प वादों में यह विवरण ठीक-ठीक भरा जाये।

2- इसके अतिरिक्त स्टाम्प वाद के निर्णय के साथ निर्णय में पायी गयी स्टाम्प शुल्क की कमी, "निर्णीत स्टांप शुल्क कमी'' अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके आधार पर

http://shasanadesh.up.nic.in

यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसकी वसूली की कार्यवाही की जानी होती है। अत: इसको उपलब्ध कराने के लिए इसके पृथक से फील्ड बनाये गये हैं। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि यह फील्ड भी अनिवार्य रूप से ठीक-ठीक प्रकार से भरा जाय। जहाँ यह अंतर्ग्रस्त विलेख ठीक स्टाम्पित अवधारित किया जाता है तो वहाँ उसमें शून्य अंकित किया जाय।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त अभी तक विचाराधीन वादों में भी उक्त फील्ड की प्रविष्टियों को सुगमतापूर्वक भरे जाने के लिए इस आशय का ध्यानाकर्षण बिन्दु न्यायालय के मुख पृष्ठ पर ही इंगित कर दिया गया है। इस ध्यानाकर्षण बिन्दु में वादों की संख्या क्लिक करते ही प्रत्येक वाद में मात्र इन फील्डस की प्रविष्टियों को सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक विचाराधीन स्टाम्प वादों में दिये गये स्टाम्प शुल्क एवं संदर्भण में इंगित स्टाम्प शुल्क की प्रविष्टि दिनांक 20 जनवरी, 2015 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर दी जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

उपरोक्त की प्रति महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in